

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश
(समक्ष:-डी०सी० थपलियाल)

प्र०क्र० 123/14 नि०फौ०

- 1- सागर जैन पुत्र आनन्दराव भाजी भाकरे
उम्र 32 वर्ष निवासी डुप्लैक्स 2 सिल्वर
स्टेट अनन्त नगरी साहनूद औरंगाबाद
- 2- रमन गोयल पुत्र स्व० रामअवतार गोयल
उम्र 43 वर्ष व्यवसाय प्राईवेट नोटरी
निवासी 10-सी लोहिया नगर
गाजियाबाद उ०प्र०.....पुनरीक्षणकर्तागण
बनाम
- 1- म०प्र० राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र थाना
मालनपुर जिला भिण्ड म०प्र०.....
.....गैरपुनरीक्षणकर्ता

निगरानीकर्ता द्वारा श्री ए०के० शर्मा अधि०।
प्रत्यर्थी अनु०

// आ दे श //

(आज दिनांक को पारित किया गया)

- 1- पुनरीक्षणकर्तागण की और से प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदनपत्र अतर्गत धारा 397, 401 द०प्र०सं० का निराकरण किया जा रहा है जिसमें कि पुनरीक्षणकर्तागण ने जे०एम०एफ०सी० गोहद पीठासीन अधिकारी श्री एस०के० तिवारी के द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 1650/13 में पारित आदेश दिनांक 16-4-14 से व्यथित होकर वर्तमान पुनरीक्षण आवेदनपत्र पेश किया गया है ।
- 2- पुनरीक्षण आवेदनपत्र के संबंध में सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि मालनपुर स्थित कैडवरी कंपनी में दिनांक 20-11-13 को एच०वी० ए०सी० प्लान्ट में डक्टींग एवं पाईपिंग कार्य के दौरान डिग्रीडे इंजीनियरिंग द्वारा नियुक्त कर्मचारी वीरेन्द्रसिंह राठौर की दुर्घटनावश मृत्यु

हो गई । घटना के समय पुनरीक्षणकर्ता क्रमांक-1 सागर जैन प्रोजेक्ट मैनेजर तथा क्र0-2 रमन गोयल फ़ैक्ट्री मैनेजर के पद पर कार्यरत थे । उपरोक्त दुर्घटना घटित होने की रिपोर्ट पुलिस थाना मालनपुर में की गई जिस पर धारा 304 ए, 287भा0द0सं0 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 268/13 पंजीबद्ध किया गया जिसमें जांच और विवेचना के दौरान वर्तमान आवेदक/पुनरीक्षणकर्तागण सहित अन्य पांच लोगों के साथ अभियोगपत्र पेश किया गया जिस पर प्रकरण क्रमांक 1650/13 पंजीबद्ध किया गया जिसमें कि आवेदकगण/पुनरीक्षणकर्तागण उपस्थित होने के उपरांत जमानत पर छोड़े गये हैं । पुनरीक्षणकर्तागण की और से संबंधित जे0एम0एफ0सी0 के समक्ष एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 317 (2) सहपठित धारा 205 द0प्र0सं0 का पेश किया गया जो कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आवेदनपत्र पर दिनांक 16/4/14 को आदेश पारित करते हुये आवेदनपत्र निरस्त किया गया है, जिससे व्यथित होकर पुनरीक्षणकर्तागण के द्वारा वर्तमान पुनरीक्षण आवेदनपत्र पेश किया गया है ।

3- पुनरीक्षणकर्तागण के द्वारा अपने आवेदनपत्र में यह आधार लिया गया है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं है । प्रार्थीगण/पुनरीक्षणकर्तागण जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर एवं फ़ैक्ट्री मैनेजर है उन्हें औपचारिक रूप से पक्षकार बनाया गया है। उनकी शिनाख्तागी के संबंध में कोई आपत्ति उनके द्वारा ना करना व्यक्त किया है । वर्तमान में प्रार्थी क्रमांक-1 मुम्बई में एवं प्रार्थी क्र0-2 गाजियाबाद में निवासी करते हैं । ऐसी दशा में केवल औपचारिक उपस्थिति के लिये गोहद न्यायालय में प्रत्येक तिथि को उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति किसी भी पक्ष के लिये लाभदायक नहीं है । अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आवेदनपत्र निरस्त किये जाने में जो कारण व आधार दर्शित है वह विधि सम्मत नहीं हैं । ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हुये आवेदकगण/पुनरीक्षणकर्तागण की व्यक्तिगत उपस्थिति से अभिमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4- अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण का आवेदनपत्र पेश होने के उपरांत दिनांक 16-4-14 को पुनरीक्षणधीन आदेश पारित करते हुये वर्तमान आवेदकगण तथा प्रकरण में अन्य आरोपीगण की और से प्रस्तुत दूसरा आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 205 सहपठित धारा 317 (2) द0प्र0सं0 निरस्त किया गया है ।

5- राज्य की और से ए0पी0पी0 ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आदेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुये उसमें किसीप्रकार का हस्तक्षेप करने अथवा फेरबदल करने का कोई आधार या कारण ना होना व्यक्त करते हुये आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

6- पुनरीक्षणकर्तागण की और से प्रस्तुत पुनरीक्षण के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय है

कि:-

"क्या अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16-4-14 वैधता शुद्धता एवं औचित्यता की दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य ना होने से अपास्त किये जाने योग्य है"?

::- निष्कर्ष के आधार:-:

7- पुनरीक्षणकर्ता अभिभाषक के द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से यह व्यक्त किया कि वर्तमान में आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता क्र0-1 सागर जैन ट्रांसफर होकर कैडवरी इ0लि0 के प्रधान कार्यालय मुम्बई में कार्यरत है । जब कि पुनरीक्षण कर्ता आवेदक क्र0-2 रमन गोपाल केडवरी इ0लि0 से त्यागपत्र देकर हिन्दुस्तान टाइम्स में कार्यरत होकर गाजियाबाद में निवास कर रहा है । उक्त दोनों आवेदक/पुनरीक्षणकर्तागण केडवरी इ0लि0 मालनपुर में प्रजोक्ट मैनेजर तथा फ़ैक्ट्री मैनेजर के रूप में कार्यरत थे, उन्हें मात्र इस आधार पर अभियुक्त बनाया गया है । उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति प्रकरण के विचारण हेतु आवश्यक नहीं है । वर्तमान में अपने व्यवसाय एवं कार्य हेतु वह बाहर पदस्थ हैं उनका न्यायालय में आने जाने पर अनावश्यक रूप से समय नष्ट होगा । उनका प्रतिनिधित्व उनके अभिभाषक के द्वारा किया जायेगा एवं जब भी न्यायालय उन्हें आवश्यक समझेगा वह उस स्टेज पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे ।

8- राज्य की और से ए0पी0पी0 ने व्यक्त किया कि धारा 205 एवं 317 द0प्र0सं0 मजिस्ट्रेट के विवेकाधिकारी प्रदान करते हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा अपनी वेवेकिक शक्ति का प्रयोग करते हुये यह स्पष्ट सभी कारण एवं आधार बताते हुये आवेदनपत्र निरस्त किया गया है । उक्त आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि या भूल नहीं की गई है ।

9- वर्तमान पुनरीक्षण आवेदनपत्र जिसमें कि मुख्य रूप से पुनरीक्षणकर्तागण ने मजिस्ट्रेट के द्वारा स्थाई हाजिरी माफी बावत आवेदनपत्र को निरस्त किया गया है । इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भास्कर इन्डस्ट्रीज लि0 वि0 विभानी डेनिम लि0 वगैरा (2001) एस0सी0 3625 में यह अवधारित किया गया है कि स्थाई हाजिरी माफी के संबंध में अधिकारिता बावत मजिस्ट्रेट को न्यायिक विवेकाधिकार प्राप्त है । इस प्रकार के विवेकाधिकार का उपयोग विरल परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिये ।

10- वर्तमान प्रकरण का जहां तक प्रश्न है मजिस्ट्रेट के द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट रूप से आधार एवं कारणों का उल्लेख करते हुये पुनरीक्षणकर्तागण/आवेदकगण की और से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 205 सहपठित धारा 317 (2) द0प्र0सं0 निरस्त किया गया है । मजिस्ट्रेट के द्वारा उक्त आदेश पारित करने में अपने विवेक का उचित रूप से प्रयोग नहीं किया है अथवा विवेक शक्ति का अतिलंघन किया गया है ऐसा भी मानने का कोई आधार नहीं है । आवेदकगण की और से प्रस्तुत स्थाई हाजिरी का आवेदनपत्र मात्र इस आधार पर कि वह

नौकरी छोड़कर दूसरी जगह चले गये हैं अथवा स्थानान्तरण दूसरे प्लांट में हो गया है इस आधार पर आवेदनपत्र स्वीकार किये जाने योग्य भी नहीं पाये जाते । निश्चित तौर से आवेदकगण न्यायालय में सुगमतापूर्वक पहुंच सकते हैं वह किसी ऐसे स्थान पर भी नहीं है जहां से कि न्यायालय में पहुंचने हेतु दुर्गम हो अथवा अन्य किसी कारण से वह न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ हो ।

11- उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त न्याय दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुये तथा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों में संबंधित विचारण मजिस्ट्रेट के द्वारा अपने वैवेकिक शक्ति के अंतर्गत आदेश पारित करते हुये आवेदकगण की और से प्रस्तुत आवेदनपत्र निरस्त किया गया है वह कदापि अवैध या औचित्यहीन होना नहीं कहा जा सकता ।

12- अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने या फेरबदल करने का कोई आधार या कारण दर्शित नहीं होता । तदनुसार पुनरीक्षणकर्तागण की और से प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदनपत्र सारहीन होने से निरस्त किया जाता है ।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व

हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी0सी0थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद जिला भिण्ड